

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 95*

जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025/3 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की कमी

95*. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में उर्वरकों के उत्पादन और उनकी खपत का ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा दादरा और नगर हवेली सहित देश में किसानों को वर्षवार, किस्मवार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कितनी-कितनी मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराए गए हैं;
- (ग) क्या देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर उक्त राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में उर्वरकों की कमी के संबंध में किसानों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी शिकायतों और उर्वरकों की अनुपलब्धता/कमी के क्या कारण हैं;
- (घ) उक्त राज्यों सहित देश में उर्वरकों की कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (ङ.) सरकार की उर्वरकों की बढ़ती मांग को देखते हुए इनकी पर्याप्त आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित करने की योजना है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

- (क) से (ङ.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

‘उर्वरकों की कमी’ के संबंध में डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे तथा श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर द्वारा पूछे गए दिनांक 25.07.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 95* के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में उर्वरकों के उत्पादन और खपत का विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उर्वरकों का उत्पादन और खपत (आंकड़े एलएमटी में)		
उत्पाद	उत्पादन	खपत
यूरिया	306.67	387.92
डीएपी	37.69	96.29
एनपीकेएस	121.05	149.72
एसएसपी	52.44	49.28
एमओपी	-	22.02
कुल उर्वरक	517.85	705.23

(ख) और (ग): विगत पाँच वर्षों के दौरान देश में किसानों को उपलब्ध कराए गए उर्वरकों की वर्ष-वार, किस्म-वार और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा दादरा एवं नगर हवेली सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, मात्रा अनुलग्नक में दी गई है। वर्ष 2025 के चल रहे खरीफ मौसम के दौरान सभी राज्यों में उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके) की उपलब्धता पर्याप्त रही है।

(घ): आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उर्वरकों को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारों को कालाबाजारी में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है। उर्वरकों की कालाबाजारी के संबंध में उर्वरक विभाग के स्तर पर प्राप्त कोई भी शिकायत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाती है। दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 11.07.2025 तक उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिए, राज्य सरकारों ने वर्ष 2025 के चल रहे खरीफ मौसम (दिनांक 11.07.2025 तक) के दौरान 1214 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, 1431 लाइसेंस रद्द किए हैं और 43 एफआईआर दर्ज की हैं।

(ड.): देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

- i. प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।
- ii. अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है। तथापि, राज्यों के भीतर उर्वरकों का आवंटन/वितरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।
- iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।
- iv. कृषि और किसान कल्याण विभाग और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि पदाधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कानफ्रेंस की जाती हैं और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरक भेजने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।
- v. कोयला गैसीकरण पद्धति पर आधारित 12.7 एलएमटीपीए क्षमता का नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) नामक नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संयुक्त उद्यम के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष नीति को भी मंजूरी दी गई है।
- vi. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 19.03.2025 को आयोजित अपनी बैठक में 7 अक्टूबर, 2014 संशोधनों के साथ पठित, नई निवेश नीति, 2012 के तहत एक संयुक्त उद्यम (जेवी) के माध्यम से ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप असम के मौजूदा परिसर के भीतर 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- vii. सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू की है। इस नीति के तहत, अधिसूचित पीएंडके उर्वरकों पर उनकी पोषकता के आधार पर वार्षिक/अर्धवार्षिक आधार पर एक निश्चित राशि की सब्सिडी प्रदान की जाती है। एनबीएस नीति के तहत, पीएंडके उर्वरक ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किए जाते हैं और कंपनियां अपने व्यावसायिक उत्तार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- viii. उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसके अलावा, भू-राजनीतिक कारकों के कारण आपूर्ति शृंखला में आने वाले व्यवधानों के प्रभाव को कम करने के लिए, उर्वरक कंपनियों ने निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु डीएपी उत्पादक देशों के साथ दीर्घकालिक समझौते किए हैं।

यह अनुलग्नक दिनांक 25.07.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.95* के उत्तर के भाग (ख) और (ग) से संबंधित है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और खपत

[आंकड़े एलएमटी में]

क्र.सं.	राज्य	यूरिया			डीएपी			एमआपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	खपत	आवश्यकता	उपलब्धता	खपत	आवश्यकता	उपलब्धता	खपत	आवश्यकता	उपलब्धता	खपत
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.90	18.68	15.70	4.30	4.80	4.34	1.50	2.38	1.71	16.00	18.36	15.78
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.28	4.48	4.10	0.61	0.70	0.62	0.47	0.80	0.57	0.55	0.63	0.48
5	बिहार	22.87	27.64	25.60	5.50	6.40	5.83	1.50	2.54	1.84	6.00	7.46	6.04
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	8.90	12.03	10.07	4.10	4.19	3.83	0.73	1.13	0.76	1.80	2.84	2.34
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.23	0.43	0.40	0.01	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03
12	गुजरात	25.60	25.82	24.23	6.25	5.84	5.42	0.99	1.18	0.92	7.00	9.98	8.35
13	हरियाणा	21.50	25.32	22.65	5.80	5.49	5.34	0.60	0.74	0.47	1.70	1.31	1.03
14	हिमाचल प्रदेश	0.71	0.81	0.65	0.01	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	0.37	0.41	0.32
15	जम्मू और कश्मीर	1.48	2.05	1.36	0.49	0.58	0.43	0.22	0.26	0.14	0.04	0.02	0.01
16	झारखण्ड	2.65	4.11	3.73	0.90	0.87	0.84	0.06	0.05	0.03	0.65	1.08	0.85
17	कर्नाटक	17.25	22.63	19.17	5.64	6.55	5.86	1.95	3.08	2.21	16.20	25.46	20.90
18	केरल	1.11	1.37	1.15	0.17	0.21	0.20	0.82	1.06	0.83	1.37	1.50	1.26
19	लक्ष्मीपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	35.38	42.43	38.09	16.57	12.70	11.66	1.05	1.59	1.08	8.50	11.94	9.77
21	महाराष्ट्र	23.73	32.72	26.41	7.50	7.13	6.47	2.30	3.45	2.22	30.00	37.86	28.79
22	मणिपुर	0.25	0.16	0.14	0.03	0.03	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
23	मेघालय	0.04	0.04	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.08	0.25	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	6.05	8.15	6.67	2.86	2.83	2.56	0.85	1.11	0.77	2.75	4.04	3.28
27	पुदुचेरी	0.16	0.16	0.15	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.07	0.11	0.08
28	पंजाब	26.50	36.70	32.56	8.10	6.99	6.61	1.00	1.06	0.71	2.50	1.73	1.41
29	राजस्थान	26.20	29.43	26.40	8.50	7.11	6.90	0.21	0.28	0.20	2.25	3.04	2.55
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.91	12.61	10.92	2.70	2.98	2.56	2.24	2.56	1.94	10.54	10.19	8.49
32	तेलंगाना	20.20	22.15	20.08	3.90	3.91	3.64	1.30	1.44	1.14	17.00	17.54	14.97
33	निपुरा	0.18	0.24	0.17	0.04	0.03	0.02	0.03	0.06	0.04	0.04	0.04	0.03
34	उत्तराखण्ड	2.03	2.60	2.31	0.30	0.52	0.40	0.08	0.08	0.04	0.40	0.28	0.21
35	उत्तर प्रदेश	77.00	91.72	79.18	24.05	21.55	19.51	1.72	2.50	1.76	14.50	12.85	10.50
36	पश्चिम बंगाल	13.80	19.05	15.77	3.55	3.62	3.12	2.50	3.41	2.57	11.00	15.25	12.24
	अखिल भारत	364.01	443.83	387.92	111.92	105.14	96.29	22.21	30.85	22.02	151.29	183.98	149.72

1 सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता>आवश्यकता

2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता>बिक्री

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और खपत

[आंकड़े एलएमटी में]

क्र.सं.	राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	खपत	आवश्यकता	उपलब्धता	खपत	आवश्यकता	उपलब्धता	खपत	आवश्यकता	उपलब्धता	खपत
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.73	17.89	14.99	4.13	4.86	4.20	1.84	1.81	1.31	13.28	17.87	14.02
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.46	4.56	3.73	0.75	0.87	0.72	0.66	0.69	0.44	0.30	0.39	0.23
5	बिहार	22.63	27.46	23.24	6.82	7.78	6.51	2.28	1.75	1.39	4.50	6.09	4.39
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	8.40	11.37	8.99	3.10	5.28	4.34	0.66	0.97	0.60	1.07	1.90	1.30
8	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.00	0.37	0.32	0.00	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.04	0.03	0.02
12	गुजरात	24.71	26.78	24.30	5.86	6.71	6.29	1.30	1.00	0.80	6.00	8.93	6.97
13	हरियाणा	20.63	24.86	21.77	5.60	6.29	5.83	0.55	0.50	0.36	1.20	0.64	0.44
14	हिमाचल प्रदेश	0.68	0.82	0.68	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	0.03	0.37	0.39	0.32
15	जम्मू और कश्मीर	1.40	2.01	1.45	0.55	0.59	0.44	0.32	0.24	0.16	0.03	0.00	0.00
16	झारखण्ड	2.47	3.74	3.04	1.02	1.06	0.94	0.21	0.03	0.03	0.41	0.46	0.33
17	कर्नाटक	16.10	21.02	15.65	5.90	8.13	6.42	2.45	1.97	1.54	16.50	21.09	15.84
18	केरल	1.19	1.13	0.96	0.20	0.18	0.16	0.97	0.87	0.70	1.42	1.56	1.26
19	लक्ष्मीपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	33.46	41.73	34.37	14.22	17.81	15.50	0.87	1.05	0.67	5.40	6.99	5.41
21	महाराष्ट्र	23.74	31.06	23.48	7.00	8.93	7.36	3.00	2.18	1.42	26.50	34.08	23.04
22	मणिपुर	0.30	0.26	0.25	0.04	0.01	0.01	0.05	0.02	0.02	0.00	0.01	0.00
23	मेघालय	0.02	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.07	0.15	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.46	7.70	5.84	2.33	3.12	2.74	1.03	0.93	0.66	2.80	3.16	2.42
27	पुदुचरी	0.16	0.15	0.13	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.10	0.07
28	पंजाब	29.48	37.35	30.68	8.00	8.23	7.24	0.85	0.62	0.50	1.50	1.02	0.73
29	राजस्थान	24.28	29.23	25.39	8.95	9.80	9.37	0.23	0.20	0.15	1.11	1.40	1.08
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.23	11.86	10.11	2.95	3.22	2.71	2.45	2.05	1.63	7.30	10.19	7.94
32	तेलंगाना	18.94	23.77	19.03	3.80	4.34	3.68	2.00	1.18	0.92	15.99	17.09	13.62
33	त्रिपुरा	0.24	0.26	0.14	0.05	0.04	0.03	0.07	0.06	0.02	0.02	0.03	0.02
34	उत्तराखण्ड	1.84	2.67	2.31	0.35	0.49	0.38	0.08	0.08	0.04	0.35	0.24	0.20
35	उत्तर प्रदेश	76.15	91.83	74.53	24.50	25.76	21.61	2.35	1.62	1.21	9.50	10.13	7.93
36	पश्चिम बंगाल	14.32	17.34	12.20	4.02	3.83	3.20	3.35	2.85	1.83	10.65	12.74	9.20
	अखिल भारत	356.08	437.47	357.81	110.18	127.42	109.73	27.62	22.74	16.45	126.31	156.51	116.80

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और खपत

[आंकड़े एलएमटी में]

क्र.सं.	राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	खपत	आवश्यकता	उपलब्धता	खपत	आवश्यकता	उपलब्धता	खपत	आवश्यकता	उपलब्धता	खपत
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	16.65	18.39	15.87	4.20	5.43	4.64	3.09	1.42	1.18	15.97	16.27	13.73
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.85	4.07	3.56	0.85	0.83	0.63	0.75	0.58	0.47	0.26	0.22	0.19
5	बिहार	22.80	24.68	21.96	6.82	7.15	5.66	2.16	1.55	1.26	3.72	5.35	4.25
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	8.74	10.57	8.38	3.70	4.68	3.14	1.01	0.77	0.56	1.45	1.63	1.06
8	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.20	0.32	0.28	0.04	0.06	0.05	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11	गोवा	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03
12	गुजरात	24.00	27.30	24.73	5.50	7.48	6.10	1.15	0.91	0.81	5.85	7.08	5.23
13	हरियाणा	21.50	23.68	20.46	5.70	6.48	5.59	0.60	0.43	0.35	0.70	0.30	0.26
14	हिमाचल प्रदेश	0.76	0.85	0.74	0.02	0.02	0.02	0.07	0.07	0.04	0.39	0.41	0.35
15	जम्मू और कश्मीर	1.68	1.93	1.60	0.59	0.60	0.48	0.40	0.23	0.17	0.04	0.00	0.00
16	झारखण्ड	2.60	3.04	2.56	1.00	0.89	0.77	0.20	0.05	0.04	0.46	0.52	0.45
17	कर्नाटक	17.20	22.22	18.21	5.90	8.44	6.21	3.00	1.68	1.41	17.16	21.53	16.67
18	केरल	1.23	1.32	1.12	0.20	0.22	0.19	1.07	0.86	0.78	1.42	1.32	1.02
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	33.00	36.94	32.39	18.50	17.61	13.85	1.57	0.76	0.62	4.85	6.25	4.79
21	महाराष्ट्र	25.29	30.39	24.66	8.20	9.34	7.18	4.30	1.68	1.38	23.50	28.89	20.46
22	मणिपुर	0.22	0.35	0.31	0.12	0.04	0.04	0.12	0.05	0.04	0.00	0.03	0.03
23	मेघालय	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.09	0.11	0.10	0.06	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागार्लेंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.84	7.08	5.60	2.69	2.55	1.94	1.35	0.84	0.61	3.05	3.26	2.63
27	पुदुचेरी	0.15	0.18	0.17	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.07	0.09	0.06
28	पंजाब	29.25	34.90	29.45	7.25	8.46	7.17	0.90	0.49	0.41	1.70	0.71	0.58
29	राजस्थान	21.50	27.91	25.17	7.40	9.70	8.47	0.30	0.18	0.14	0.95	0.85	0.72
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	9.96	11.38	10.05	2.73	3.49	2.76	2.53	1.85	1.65	6.45	9.19	7.38
32	तेलंगाना	18.39	21.63	18.83	3.55	4.70	3.71	2.27	0.86	0.74	15.16	16.24	12.90
33	त्रिपुरा	0.27	0.28	0.19	0.05	0.02	0.02	0.09	0.06	0.02	0.02	0.03	0.02
34	उत्तराखण्ड	2.20	2.38	2.05	0.35	0.64	0.52	0.09	0.07	0.03	0.35	0.15	0.11
35	उत्तर प्रदेश	77.50	87.39	74.72	24.70	27.69	22.38	3.36	1.42	1.22	7.00	6.64	4.79
36	परिमाम बंगाल	14.25	16.49	14.05	4.05	4.36	3.77	3.70	2.70	2.36	10.12	11.16	9.61
	अखिल भारत	359.19	415.82	357.26	114.20	130.93	105.31	34.17	19.55	16.32	120.69	138.15	107.31

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और खपत

[आंकड़े एलएमटी में]

क्र.सं.	राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	खपत	आवश्यकता	उपलब्धता	खपत	आवश्यकता	उपलब्धता	खपत	आवश्यकता	उपलब्धता	खपत
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	17.00	17.08	14.83	4.45	3.79	3.60	3.00	1.97	1.78	17.00	15.93	13.99
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.85	4.00	3.60	0.89	0.68	0.52	0.85	0.62	0.55	0.17	0.25	0.19
5	बिहार	22.00	22.79	21.53	7.50	5.82	5.52	2.50	1.52	1.38	4.00	4.44	3.96
6	चंगीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	7.00	9.66	8.00	3.80	3.69	3.53	1.01	1.09	0.83	1.30	1.46	1.31
8	दादरा और नगर हवेली	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.20	0.30	0.26	0.04	0.05	0.03	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.02	0.03	0.03
12	गुजरात	24.00	24.93	21.90	5.00	5.43	5.00	1.20	1.22	1.09	5.95	7.35	6.69
13	हरियाणा	20.50	23.26	20.75	6.00	5.33	4.96	0.56	0.67	0.57	0.70	0.63	0.54
14	हिमाचल प्रदेश	0.79	0.90	0.74	0.02	0.01	0.00	0.08	0.10	0.04	0.38	0.34	0.19
15	जम्मू और कश्मीर	1.43	2.11	1.67	0.80	0.57	0.44	0.40	0.25	0.19	0.03	0.02	0.00
16	झारखण्ड	2.60	3.01	2.57	1.00	0.97	0.91	0.20	0.05	0.01	0.46	0.49	0.45
17	कर्नाटक	16.50	21.04	17.84	6.54	6.37	5.73	3.17	2.74	2.54	17.20	20.82	18.72
18	केरल	1.22	1.29	1.15	0.20	0.14	0.14	1.10	0.86	0.77	1.45	1.43	1.26
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	35.00	33.01	29.18	19.50	12.54	12.03	1.80	1.31	1.18	4.35	5.31	4.96
21	महाराष्ट्र	25.50	28.29	23.68	8.50	6.42	5.87	4.50	3.63	3.26	21.50	28.97	25.75
22	मणिपुर	0.27	0.24	0.14	0.14	0.03	0.01	0.14	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.09	0.03	0.01	0.06	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.64	6.36	5.53	2.68	2.51	2.37	1.43	1.17	1.07	2.80	2.77	2.49
27	पश्चिमी	0.12	0.15	0.15	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.07	0.08	0.07
28	पंजाब	28.00	34.95	31.34	8.00	6.58	6.27	1.00	0.87	0.64	0.76	1.47	1.21
29	राजस्थान	21.00	25.43	22.59	7.70	6.59	6.10	0.30	0.31	0.24	0.63	1.23	1.20
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.10	10.85	10.40	2.90	2.56	2.39	3.00	2.80	2.53	6.92	9.25	8.17
32	तेलंगाना	19.00	19.19	17.12	4.20	3.14	2.98	3.10	1.50	1.39	18.60	15.07	13.24
33	त्रिपुरा	0.27	0.32	0.18	0.05	0.04	0.01	0.09	0.05	0.01	0.02	0.03	0.01
34	उत्तराखण्ड	2.16	2.30	2.09	0.32	0.43	0.31	0.09	0.09	0.04	0.30	0.24	0.22
35	उत्तर प्रदेश	78.00	82.30	71.12	29.50	23.75	21.20	3.80	2.12	1.91	8.00	6.78	6.36
36	पश्चिम बंगाल	14.23	15.84	13.30	4.05	3.03	2.70	3.70	2.09	1.89	10.12	11.30	10.34
	अखिल भारत	356.53	389.68	341.73	123.90	100.49	92.64	37.10	27.06	23.93	122.74	135.74	121.37

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और खपत

[आंकड़े एलएमटी में]

क्र.सं.	राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	खपत	आवश्यकता	उपलब्धता	खपत	आवश्यकता	उपलब्धता	खपत	आवश्यकता	उपलब्धता	खपत
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.01	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	17.50	18.84	15.92	4.00	4.66	4.21	2.80	3.60	2.94	13.50	19.78	17.27
3	अरण्याचल प्रदेश	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	4.15	4.11	3.46	0.83	0.92	0.79	0.82	0.99	0.80	0.20	0.17	0.14
5	बिहार	22.00	26.21	23.30	7.00	8.93	8.12	2.50	3.44	2.61	3.50	4.58	3.63
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	6.50	11.08	9.17	3.35	5.42	4.51	1.01	1.52	1.12	1.60	1.72	1.19
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.23	0.24	0.22	0.05	0.04	0.04	0.02	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.03	0.02	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.03
12	गुजरात	24.00	26.22	23.82	5.00	7.02	6.55	1.30	1.70	1.51	5.35	9.48	7.79
13	हरियाणा	21.00	23.64	21.52	6.30	6.86	6.32	0.70	0.98	0.60	0.40	0.35	0.23
14	हिमाचल प्रदेश	0.70	0.88	0.72	0.02	0.02	0.02	0.09	0.12	0.08	0.41	0.45	0.34
15	जम्मू और कश्मीर	1.43	2.58	2.16	0.79	0.93	0.80	0.26	0.60	0.48	0.00	0.04	0.02
16	झारखण्ड	2.60	3.07	2.58	1.00	1.27	1.08	0.11	0.07	0.05	0.38	0.44	0.36
17	कर्नाटक	16.50	20.62	16.43	6.50	7.97	6.82	3.15	4.57	3.35	14.15	23.28	18.24
18	केरल	1.13	1.51	1.27	0.19	0.22	0.21	0.85	1.28	1.09	1.25	1.72	1.44
19	लक्ष्मीपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	31.00	34.73	30.18	13.55	18.04	16.07	1.50	2.03	1.50	3.75	4.85	3.98
21	महाराष्ट्र	25.00	29.76	24.62	7.00	9.44	8.17	4.50	5.43	4.09	21.00	35.89	26.89
22	मणिपुर	0.27	0.24	0.22	0.16	0.06	0.04	0.14	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.09	0.02	0.02	0.05	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.65	6.66	5.27	2.20	2.82	2.52	1.30	1.81	1.38	2.80	3.26	2.65
27	पश्चिम बंगाल	0.13	0.15	0.14	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.04	0.11	0.09
28	पंजाब	28.30	32.85	29.37	8.25	8.87	7.73	1.50	1.21	0.85	0.76	0.47	0.36
29	राजस्थान	22.00	25.78	23.21	8.00	9.72	9.17	0.30	0.46	0.32	0.55	0.76	0.64
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.00	11.58	9.88	3.25	3.07	2.72	3.10	3.88	3.07	6.30	9.08	7.38
32	तेलंगाना	19.50	22.20	17.54	2.70	3.62	3.14	2.60	3.00	2.47	13.50	18.38	15.18
33	त्रिपुरा	0.25	0.25	0.14	0.06	0.07	0.05	0.10	0.07	0.04	0.02	0.02	0.01
34	उत्तराखण्ड	2.25	2.57	2.40	0.40	0.46	0.38	0.10	0.11	0.06	0.38	0.34	0.31
35	उत्तर प्रदेश	74.00	84.55	74.13	23.00	29.02	25.76	3.50	3.74	2.78	8.00	8.20	6.26
36	पश्चिम बंगाल	14.43	16.08	12.78	4.05	4.48	3.94	3.20	3.89	3.06	10.12	13.16	11.39
	अखिल भारत	350.64	406.49	350.51	107.76	133.98	119.18	35.51	44.56	34.32	108.00	156.55	125.82